कार्यालय विवाह अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, प्रशासन, श्रीगंगानगर
विवाह अधिकारी – करतार सिंह पूनियां, आर.ए.एस.

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

विवाह आवेदन पत्र दिनांक 16.03.2017
द्वारा
यादविन्द्रसिंह एवं श्रीमती उकरवीरकौर

उपस्थित : श्री मोहन लाल माहर, अधिवक्ता, विवाह के पक्षकार

आदेश प्रार्थना पत्र दिनांकः 6 अप्रैल, 2017

विवाह के पक्षकार श्री यादविन्द्रसिंह एवं श्रीमती उकरवीरकौर द्वारा हिन्दु विवाह अधिनियम 1955 की धारा 25 के तहत विवाह पंजीयन हेतु प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र, गवाहन सुखचैनसिंह, गुरदीपसिंह, खुसविन्द्रसिंह एवं जोरासिंह के शपथ पत्र एवं आई डी प्रूफस पेश किये है।

प्रार्थना पत्र पर अंकित रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। रिपोर्ट के बिन्दू सं0 6 के अनुसार विवाह के पक्षकार वर द्वारा अपने शपथ पत्र, विवाह प्रमाण पत्र के प्रारूप में सोशल सिक्यूरिटी नं0 33885909 अंकित किया है, जबकि इस संबंध में कोई सारवान दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं की गई है। प्रार्थी को उक्त दस्तावेज पेश करने के लिए समय दिया गया। प्रार्थी वर द्वारा दिनांक 17–3–17 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि सिन नम्बर पेश करने की छूट दी जाकर विवाह पंजीयन किया जावे।

विवाह पंजीयन हेतु प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। अवलोकन से पाया गया कि वर द्वारा अपने शपथ पत्र एवं विवाह प्रमाण पत्र के प्रारूप में जो सोशल सिक्यूरिटी नम्बर अंकित किया गया है, वह सोशल सिक्यूरिटी नम्बर न होकर कस्टमर नम्बर है, जिसके कार्ड की प्रति पेश की गई है, इस प्रकार प्रार्थी वर द्वारा मिथ्या सूचना शपथ पत्र एवं विवाह प्रमाण पत्र में अंकित की है।

मा0 राजीव महर्षि, सचिव, प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय, भारतसरकार, अकबर भवन, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली के अर्द्वशासकीय पत्र कमांक 01–19019/02/2010–डीएस दिनांक 3–1–2013 के बिन्दू सं0 3 के अनुसार, Certificates of NRI marriages issued by the States must include the Security number of the foreign home of the NRI husband along with the Passport number and brief relevant details.

हस्तगत प्रार्थना पत्र में एन आर आई पति द्वारा Security number of the foreign home के संबंध में कोई सारवान दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं की गई है और जो सोशल सिक्यूरिटी नम्बर का अंकन शपथ पत्र एवं विवाह प्रमाण पत्र में किया गया है, वह मिथ्या है, जबकि वह नम्बर कस्टमर नम्बर है।

अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थी वर द्वारा मिथ्या साक्ष्य पेश करने एवं Security number of the foreign home के संबंध में कोई सारवान दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं करने के कारण विवाह पंजीयन हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्वीकार किये जाने योग्य है।

फलस्वरूप, उपरोक्तानुसार हिन्दू विवाह अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत विवाह पंजीयन हेतु प्रार्थना पत्र दिनांक 16–3–17 खारिज किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 6-4-2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(करतार सिंह पूनियां)
विवाह अधिकारी एवं
अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन) श्रीगंगानगर

Scanned by CamScanner